रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240363 CG-DL-E-17112022-240363

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5128] No. 5128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5354(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् किमहाराष्ट्र राज्य के लातूर जिलेमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी. 505.550 से कि.मी.567.000तक (गांजुर से रालगा खंड) का निर्माण (चौडाकरने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी (पुर्णा प्रकल्प) लातूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसरदेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के

7645 GI/2022 (1)

पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने केपश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यातो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियोंद्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी.505.550 से कि.मी.567.000 तक (गांजुर से रालगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विविरण।

राज्य का नाम:	महाराष्ट्र	जिले का नाम	जिले का नाम: लातुर						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल					
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: चाकुर									
गांव का नाम: बनसावरगांव									
1	78	निजी	कृषि	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000				
2	80	निजी	कृषि	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000				
	0.0065								

फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5354(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km 505.550 to Km 567.000 (Ganjur to Ralga section) in the District of Latur in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector & Land Acquisition Officer, (Purna Project) Latur writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land form Km 505.550 to Km 567.000 (Ganjur to Ralga section) of the National Highway .361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: Latur									
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit) (in Hectare)					
Taluk: Chakur									
Village: Bansawargaon									
1	78	Private	Agricultural	0.0040000(Hectare)	0.0040000				
2	80	Private	Agricultural	0.0025000(Hectare)	0.0025000				
		0.0065	0.0065						

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

RAJESH GUPTA, Director